[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 1019 (अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रति अदायगी नियमावली, 1995, को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा

1. (1) इन नियमों का नाम सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली 2016 है।

(2) यह दिनांक 15 नवम्बर, 2016 से लागू होंगे।

2. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रति अदायगी नियमावली, 1995, में नियम 8 के उपनियम (1) को विलोपित किया जाएगा।

[फा.सं. 609/80/2016-डीबीके]

(राजीव तलवार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995 के द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 441 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 109/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 नवंबर, 2015, सा.का.नि. 860 (अ), दिनांक 16 नवंबर, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया था।